

ख हुक्म

हुक्म या कार्यवा इ
इही मय इनिशियल्स जज

अर्थाई निषेधाणा
ममता वताम श्रवण वर्गो

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

3/10/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीयान व अप्रार्थीगण
मय अधिवक्ता अनुपातित हैं। प्रार्थीयान व
प्रार्थीयान अधिवक्ता को न्यायालय में बार-
बार कुरु कुरुकर आवाज दिलवाई गई, फेरु
न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय
में उपात्तित नही आये। अतः प्रार्थीयान
का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 3 के
अन्तर्गत आदम हाजरी व अदम परवी
में रवारिज किया जाता है। प्रकरण के मूल
सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा फेरु
दारिखल हो।


उपखण्ड अधिकारी
सैथल